



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर-रतनपुर मार्ग, कोनी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495009

ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in, वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 1173/अका./2025

बिलासपुर, दिनांक 31-12-2025

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नया रायपुर की अनुमति के आधार पर सांदिपनी एकेडमी, बिलासपुर-शिवरीनारायण रोड, पेण्ड्री(मस्तुरी) जिला-बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नीचे उल्लेखित विषय/पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र.	विषय का नाम	छात्र संख्या
1	एम.ए.(हिंदी) -पूर्व	25

- शर्तें:-
1. शासन के अनुमति पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों की पूर्ति की जावे।
 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
 3. अध्यापनरत्/नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम अर्हतायें वही होंगी जो विश्वविद्यालय/शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय अभिकरण(यथा-ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./डी.सी.आई/पी.सी.आई/सी.सी.एच./बी.सी.आई.....इत्यादि) द्वारा निर्धारित है।
 4. शासन के निर्देशों का पालन किया जाये।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की एक माह के भीतर पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता पर आगामी वर्ष से पुनर्विचार किया जा सकता है। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 31-12-2025

पृ.क्रमांक 1173/अका./2025

प्रतिलिपि:-

- 01/कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02/अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04/परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव(परीक्षा) को सूचनार्थ प्रेषित।
- 05/प्राचार्य, सांदिपनी एकेडमी, बिलासपुर-शिवरीनारायण रोड, पेण्ड्री(मस्तुरी), जिला-बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप-कुलसचिव(अका.)